



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032026-271024  
CG-DL-E-17032026-271024

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1324]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2026/फाल्गुन 26, 1947

No. 1324]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2026/PHALGUNA 26, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

**का.आ. 1383(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में नए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग, शामली-गोरखपुर (चरण-I) हाई-स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर, के पैकेज-03 (कि.मी. 142.195 से कि.मी. 214.350 तक) के भूखण्ड के संबंध में, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में नए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग, शामली-गोरखपुर (चरण-I) हाई-स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर, के पैकेज-03 (कि.मी. 142.195 से कि.मी. 214.350 तक) की भूमि का अर्जन

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	विशेष भूमि अध्याप्ति	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	धामपुर	1 मुज्राहिदपुर

	अधिकारी, बिजनोर	Newly Proposed के कि.मी 142.195 से कि.मी 147 तक			
--	--------------------	--	--	--	--

[फा. सं. E-300448]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2026

**S.O. 1383(E).**— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from **Km. 142.195 to Km. 214.350, Package-03 of the newly proposed High Speed Access Controlled Corridor from Shamli - Gorakhpur (Phase-I)** for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH as specified in the Schedule given below.

**SCHEDULE**

**Acquisition of land in respect of High Speed Access Controlled Corridor from Shamli - Gorakhpur (Phase-I) in the State of UTTAR PRADESH on the stretch from Km. 142.195 to Km. 214.350 (Package-03)**

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SLAO, Bijnor	Newly Proposed KM 142.195 TO KM 147	UTTAR PRADESH	BIJNOR	Dhampur	1 Muzahidpur

[F. No. E-300448]

SHAIKH AMINKHAN, Director